

न्यायपालिका

इस अध्याय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न – उत्तर सहित। पहले खुद हल करने की कोशिश करो, फिर उत्तर मिलाओ।

अभ्यास प्रश्न-उत्तर (हर टॉपिक से)

» कानून के शासन में न्याय व्यवस्था की जरूरत

प्रश्न 1 (आसान). कानून के शासन का सबसे मुख्य मतलब क्या है?

उत्तर – कानून सब पर समान रूप से लागू हों।

प्रश्न 2 (आसान). अगर कानून का उल्लंघन हो जाए तो क्या होना चाहिए?

उत्तर – तय प्रक्रिया के जरिए न्याय दिलाया जाना चाहिए।

प्रश्न 3 (मध्यम). अदालतों की जरूरत क्यों पड़ती है? दो कारण लिखो।

उत्तर – 1) विवादों की सुनवाई और नियम के आधार पर फैसला हो सके। 2) उल्लंघन पर तय प्रक्रिया से न्याय मिले, सिर्फ ताकत से निर्णय न हो।

प्रश्न 4 (कठिन). मान लो अदालतें नहीं हों, तो कानून के शासन पर क्या असर पड़ेगा?

उत्तर – कानून पर भरोसा कम हो जाएगा क्योंकि उल्लंघन होने पर तय प्रक्रिया, सुनवाई और फैसले का रास्ता नहीं रहेगा; ताकतवर व्यक्ति मामले दबा भी सकता है।

» न्यायपालिका के मुख्य काम: तीन भूमिकाएँ

प्रश्न 5 (आसान). अदालत किस काम के लिए विवादों का निपटारा करती है?

उत्तर – लोगों/सरकारों के बीच होने वाले विवादों को नियमों के आधार पर हल करने के लिए।

प्रश्न 6 (आसान). न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या है (एक बात में)?

उत्तर – अदालत यह देखती है कि संसद का कानून संविधान के खिलाफ तो नहीं, हो तो रद्द कर सकती है।

प्रश्न 7 (मध्यम). मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर नागरिक कहाँ जा सकता है?

उत्तर – वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है।

प्रश्न 8 (कठिन). अगर किसी कानून से संविधान की आधारभूत भावना टूटती लगे, तो तीन भूमिकाओं में न्यायपालिका किस भूमिका में सबसे पहले कार्रवाई करेगी?

उत्तर – न्यायिक समीक्षा वाली भूमिका में—क्योंकि अदालत संविधान की व्याख्या करती है और कानून को आधारभूत ढाँचे के उल्लंघन पर रद्द कर सकती है।

» स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है?

प्रश्न 9 (आसान). स्वतंत्र न्यायपालिका का सबसे मुख्य अर्थ क्या है?

उत्तर – जज शक्तिशाली व्यक्ति/सरकार के दबाव में फैसले न करे।

प्रश्न 10 (आसान). अदालतों को किसके अधीन नहीं होना चाहिए?

उत्तर – सरकार के अधीन नहीं।

प्रश्न 11 (मध्यम). 'शक्तियों का बँटवारा' स्वतंत्र न्यायपालिका में कैसे मदद करता है?

उत्तर – विधायिका/कार्यपालिका अदालत के काम में दखल नहीं दे पातीं, इसलिए फैसला दबाव से नहीं होता।

प्रश्न 12 (कठिन). अगर जज को बहुत आसानी से हटाया जा सकता हो, तो स्वतंत्र न्यायपालिका पर क्या असर पड़ेगा?

उत्तर – जज डर के कारण दबाव में फैसला कर सकता है, इसलिए स्वतंत्रता कमज़ोर हो जाएगी।

» अदालतों की संरचना: पिरामिड और अपील की व्यवस्था

प्रश्न 13 (आसान). भारत की अदालतें कितने स्तरों पर काम करती हैं?

उत्तर – तीन स्तरों पर—अधीनस्थ/जिला अदालतें, उच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय।

प्रश्न 14 (आसान). कौन-सी अदालत किसी राज्य की सबसे ऊँची अदालत कहलाती है?

उत्तर – उस राज्य का उच्च न्यायालय।

प्रश्न 15 (मध्यम). असंतुष्ट व्यक्ति फैसले के खिलाफ क्या कर सकता है और कहाँ?

उत्तर – वह अपील कर सकता है; निचली अदालत के फैसले के खिलाफ ऊपर की अदालत में।

प्रश्न 16 (कठिन). न्यायिक व्यवस्था में एकीकरण क्यों जरूरी है? इसका असर नीचे की अदालतों पर कैसे पड़ता है?

उत्तर – क्योंकि ऊपर की अदालतों के फैसले नीचे की सभी अदालतों को मानने होते हैं, इसलिए कानून की व्याख्या और न्याय में एकरूपता बनी रहती है।

» विधि व्यवस्था की शाखाएँ: आपराधिक बनाम दीवानी

प्रश्न 17 (आसान). किसी ने जानबूझकर किसी के घर में चोरी की। यह आपराधिक होगा या दीवानी?

उत्तर – आपराधिक (Criminal)।

प्रश्न 18 (आसान). किसी का किराया कई महीनों से बाकी है, उसे वापस दिलाने की मांग है। आपराधिक या दीवानी?

उत्तर – दीवानी (Civil)।

प्रश्न 19 (मध्यम). स्कूल बस टक्कर लगने से छात्र को चोट लगी। माता-पिता अस्पताल का खर्च और मुआवज़ा मांग रहे हैं। यह किस तरफ जाएगा—आपराधिक या दीवानी?

उत्तर – अक्सर दीवानी, क्योंकि फोकस मुआवज़ा/राहत (hospital खर्च भरपाई) पर होता है।

प्रश्न 20 (कठिन). किसी व्यक्ति पर आरोप है कि उसने कंपनी से पैसे लेकर वापस नहीं किए और धोखे की बात भी है। साथ में कोर्ट से 'पैसे वापस' और 'हर्जाना' भी मांगा गया है। फैसला किस वर्ग में ज्यादा सही रहेगा?

उत्तर – दीवानी, क्योंकि मुख्य मांग पैसे वापस/हर्जाना (राहत) है; हालांकि आपराधिक पक्ष अलग प्रक्रियाओं में उठ सकता है, पर दिए गए 'राहत' फोकस के कारण उत्तर दीवानी होगा।

» क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? PIL

प्रश्न 21 (आसान). PIL किस उद्देश्य से शुरू की गई थी?

उत्तर – गरीब/कमज़ोर लोगों तक न्याय पहुँचाने और public issues में प्रभावित लोगों की तरफ से अदालत में मामला पहुँचाने के लिए।

प्रश्न 22 (आसान). PIL में क्या प्रभावित व्यक्ति खुद याचिका दे, यह जरूरी है?

उत्तर – नहीं—किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा प्रभावित लोगों की तरफ से दायर की जा सकती है।

प्रश्न 23 (मध्यम). गरीब लोगों के लिए अदालत जाना कठिन क्यों होता है? PIL इसे कैसे मदद करती है?

उत्तर – क्योंकि पैसे, लंबी कागजी प्रक्रिया और समय की देरी बाधा बनती है। PIL में प्रक्रिया सरल होती है और प्रभावित लोगों की तरफ से किसी और व्यक्ति/संस्था द्वारा याचिका लगाई जा सकती है।

प्रश्न 24 (कठिन). मान लो सड़क किनारे काम करने वालों को हटाया जा रहा है और उनकी आजीविका खत्म हो रही है। बताओ PIL कैसे लागू हो सकती है और अदालत का ध्यान किस बात पर जाएगा?

उत्तर – यह public issue और अधिकारों का उल्लंघन है। प्रभावित लोग खुद कोर्ट नहीं जा पाते, इसलिए कोई संस्था/व्यक्ति उनकी तरफ से PIL दायर कर सकती है। अदालत इस बात पर ध्यान देगी कि हटाने से उनकी आजीविका/जीवन-यापन के साधन प्रभावित हो रहे हैं, यानी अधिकारों का नुकसान हो रहा है।

» जीवन अधिकार की विस्तृत व्याख्या: आजीविका और भोजन

प्रश्न 25 (आसान). अनुच्छेद 21 में 'जीवन' का मतलब सिर्फ जैविक अस्तित्व है या इससे ज्यादा?

उत्तर – यह सिर्फ जैविक अस्तित्व नहीं है; इसमें आजीविका और भोजन जैसे घटक भी शामिल हैं।

प्रश्न 26 (आसान). अगर झुग्गी/पटरी खाली कर दी जाए और लोग वहीं के आसपास काम करते हों, तो जीवन अधिकार पर क्या असर हो सकता है?

उत्तर – लोगों की आजीविका (रोज़गार) पर सीधा असर पड़कर जीवन अधिकार प्रभावित हो सकता है।

प्रश्न 27 (मध्यम). अदालत ने भोजन के अधिकार को जीवन अधिकार से कैसे जोड़ा? (एक कारण लिखिए)

उत्तर – अदालत ने माना कि 'जीवन' में भोजन का अधिकार भी शामिल है, इसलिए राज्य को लोगों, खासकर बच्चों, को भोजन देने के लिए कदम उठाने चाहिए।

प्रश्न 28 (कठिन). ओल्गा टेलिस जैसे फैसलों का मुख्य संदेश क्या है, जब बेदखली से आजीविका छिनने की बात होती है?

उत्तर – मुख्य संदेश यह कि आजीविका छिनना 'जीवन' अधिकार को प्रभावित करता है; इसलिए बेदखली का असर सिर्फ घर खाली करने तक सीमित नहीं, जीवन की मूल जरूरतों पर भी पड़ता है।

» न्याय तक पहुँच में देरी: 'इंसाफ में देरी'

प्रश्न 29 (आसान). 'इंसाफ में देरी' का मतलब क्या है?

उत्तर – जब न्याय/फैसला देर से मिले और समय पर न्याय का असर लोगों तक न पहुँचे।

प्रश्न 30 (आसान). देरी से पीड़ित को सबसे पहले किस तरह का नुकसान हो सकता है?

उत्तर – पैसे और रोज़गार/काम में नुकसान, क्योंकि कोर्ट के चक्कर में समय और खर्च बढ़ता है।

प्रश्न 31 (मध्यम). अगर मुकदमा बहुत लंबा चले तो पीड़ित के भरोसे पर क्या असर पड़ सकता है?

उत्तर – लंबा इंतज़ार देखकर भरोसा घट सकता है, लोग महसूस कर सकते हैं कि न्याय देर से ही मिलता है और मदद उतनी असरदार नहीं होती।

प्रश्न 32 (कठिन). दिखाओ कि देरी सिर्फ 'फैसला देर से आने' की बात नहीं है—केस की सच्चाई और प्रक्रिया पर भी असर कैसे पड़ता है?

उत्तर – लंबे समय में गवाहों का मिलना/डरकर पीछे हटना बढ़ सकता है और यार्दे धुंधली पड़ने से गवाही कमजोर हो सकती है; इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया पर भी असर पड़ता है।

हल किए हुए उदाहरण (step-by-step)

उदाहरण 1. मान लो किसी व्यक्ति का आरोप है कि किसी सरकारी कर्मचारी ने उसका काम बिना कारण रुकवा दिया और नियम के मुताबिक सेवा नहीं दी। कानून का शासन कैसे सुनिश्चित होगा?

- › कानून के शासन का मतलब है सभी पर समान नियम लागू हों।
- › अगर नियम का उल्लंघन हुआ है, तो व्यक्ति को बिना दबाव के अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए।
- › इसलिए तय प्रक्रिया के साथ सुनवाई करने वाली अदालत/न्यायिक व्यवस्था आवश्यक होती है।
- › अदालत तथ्यों और कानून के आधार पर फैसला देकर न्याय सुनिश्चित करती है।

उत्तर – कानून के शासन के अनुसार कर्मचारी पर लागू नियम समान रूप से लागू होंगे; उल्लंघन होने पर व्यक्ति न्याय व्यवस्था के जरिए तय प्रक्रिया में सुनवाई कराकर न्याय प्राप्त कर सकता है।

उदाहरण 2. मान लो संसद ने एक कानून बनाया जो कहता है कि किसी नागरिक को एक जरूरी सेवा (जैसे स्वास्थ्य सुविधा) से जुड़े मामलों में कोर्ट से शिकायत का अधिकार नहीं रहेगा। एक नागरिक को लगता है कि इससे उसका अधिकार टूट रहा है और कानून संविधान के खिलाफ है। बताइए न्यायपालिका की तीनों भूमिकाएँ इस स्थिति में कैसे काम करेंगी।

› पहली भूमिका: नागरिक अपने विवाद/शिकायत को अदालत में रखेगा—अदालत नियम के आधार पर तय करेगी कि उसके साथ अधिकारों का उल्लंघन हुआ या नहीं।

› दूसरी भूमिका: अगर कानून संविधान के आधारभूत ढाँचे/संवैधानिक भावना का उल्लंघन कर रहा है, तो न्यायपालिका उस कानून की समीक्षा करके उसे रद्द कर सकती है।

› तीसरी भूमिका: नागरिक के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की बात को देखते हुए अदालत सरकार/अधिकारियों को आदेश देगी ताकि अधिकार लागू हो और कानून की रक्षा हो।

उत्तर – न्यायपालिका पहले विवाद/शिकायत का निपटारा करेगी, फिर संविधान के खिलाफ दिखने पर न्यायिक समीक्षा करके कानून को रद्द कर सकती है, और अंत में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए आदेश/उपचार करवा कर कानून की रक्षा करेगी।

उदाहरण 3. एक मामले में सरकार कहती है कि अदालत “इस कानून को मानकर ही फैसला दे।” अगर जज सरकार के दबाव में फैसला करे, तो क्या उसे स्वतंत्र न्यायपालिका कहा जा सकता है? और स्वतंत्रता के कौन-कौन से आधार काम में आने चाहिए?

- › सोचो: क्या जज को सरकार/ताकतवर व्यक्ति का दबाव मिल रहा है?
- › यदि दबाव है, तो फैसला प्रभावित होगा—यह स्वतंत्र न्यायपालिका के खिलाफ है।
- › स्वतंत्र न्यायपालिका में शक्तियों का बँटवारा होता है: सरकार अदालत के काम में दखल नहीं देती।
- › अदालतें सरकार के अधीन नहीं होतीं, यानी अदालत अपनी बात अपने कानून/संविधान के आधार पर करती है।
- › जज की नियुक्ति/हटाने की प्रक्रिया कठिन होती है ताकि दबाव देकर हटवाने का डर न बने।

उत्तर – नहीं, अगर जज सरकार के दबाव में फैसला करे तो वह स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं कहलाएगा। स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए शक्तियों का बँटवारा, अदालतों का सरकार से स्वतंत्र रहना, और जजों की नियुक्ति/हटाने की कठिन प्रक्रिया—ये तीन आधार जरूरी हैं।

उदाहरण 4. मान लो किसी व्यक्ति को निचली (जिला) अदालत का फैसला मंजूर नहीं है। उसे लगता है कि फैसला सही सबूत/कानून के आधार पर नहीं हुआ। उसे आगे किस प्रक्रिया के जरिए ऊपर वाली अदालत में जाना चाहिए?

- › पहले पहचानो कि फैसला निचली अदालत (अधीनस्थ/जिला) ने दिया है।
- › फिर समझो कि असंतुष्ट व्यक्ति अपील कर सकता है।
- › अपील निचली अदालत के फैसले के खिलाफ ऊपर की अदालत में की जाती है।
- › इस केस में अगला स्तर उसी राज्य का उच्च न्यायालय होगा।
- › अगर फिर भी असहमति बनी रहे, तो आगे कानून के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में अपील/सुनवाई का रास्ता हो सकता है।

उत्तर – व्यक्ति निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करके ऊपर की अदालत (उसी राज्य का उच्च न्यायालय) में जा सकता है। आगे भी असहमति/कानूनी शर्तों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय तक जाना संभव होता है।

उदाहरण 5. माना: राधा का आभूषण किसी ने धोखे से ले लिया। बाद में उसने समझाया कि वह ऐसा नहीं कर सकती, और कोर्ट से मांग करती है कि आभूषण लौटाए जाएँ और नुकसान की भरपाई भी हो। बताओ यह मामला ज्यादा संभावना से आपराधिक होगा या दीवानी?

- › पहले देखो नुकसान किस तरह का है: धोखा करके आभूषण लेना अपराध की तरह भी माना जा सकता है।
- › अब कोर्ट से मांग किस तरह की है: आभूषण लौटाने और नुकसान की भरपाई (मुआवज़ा/राहत) भी मांगी गई है।
- › ऐसे मामलों में दोनों रंग हो सकते हैं, लेकिन “दिखाई देने वाली मांग” और विवाद का स्वर अक्सर दीवानी राहत की तरफ झुकता है।

› इसलिए इस सवाल में, जहाँ फोकस ‘आभूषण लौटाना + भरपाई’ है, इसे दीवानी राहत-आधारित विवाद मानकर उत्तर देना बेहतर है।

उत्तर – यह केस ज्यादा संभावना से दीवानी (Civil) राहत/मुआवज़ा/आभूषण लौटाने वाली मांग जैसा माना जाएगा।

उदाहरण 6. एक NGO को पता चलता है कि एक सरकारी व्यवस्था की वजह से बहुत सारे गरीब बच्चों को मिड-डे मील नहीं मिल रहा। प्रभावित बच्चे खुद कोर्ट में जाने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसे में क्या वे अदालत तक पहुँच सकते हैं और कैसे?

- › पहले पहचानो: यह public issue है—कई बच्चों का अधिकार प्रभावित हो रहा है।
- › अब समझो: गरीबों के लिए पैसे, समय और कागजी प्रक्रिया बाधा बनती है।
- › PIL का उपयोग होता है—प्रभावित बच्चों की तरफ से कोई व्यक्ति/संस्था याचिका दायर कर सकती है।
- › अदालत प्रक्रिया को सरल मानकर जल्दी ध्यान दे सकती है और आदेश दे सकती है।
- › इस तरह न्याय की पहुँच प्रभावित लोगों तक पहुँचती है, भले याचिकाकर्ता पीड़ित खुद न हो।

उत्तर – हाँ, वे PIL के जरिए अदालत तक पहुँच सकते हैं—NGO प्रभावित बच्चों की तरफ से जनहित याचिका दाखिल कर सकती है, और अदालत राज्य को आवश्यक कदम उठाने का आदेश दे सकती है।

उदाहरण 7. नगर प्रशासन ने पटरी/झुग्गी-बस्ती हटाने का आदेश दिया। याचिका में कहा गया कि इससे लोगों की रोज़ी-रोटी खत्म हो जाएगी। अदालत को जीवन अधिकार (अनुच्छेद 21) के संदर्भ में क्या देखना होगा?

- › अनुच्छेद 21 में 'जीवन' को व्यापक मानना है—सिर्फ शरीर बचना नहीं।
- › जांच करनी है कि क्या हटाने से आजीविका के साधन नष्ट हो रहे हैं।
- › अगर लोग उसी जगह के आसपास छोटे काम/रोज़गार करते हैं, तो हटाने से रोजगार खत्म होने की संभावना/प्रभाव सीधा मानना चाहिए।

- › इसलिए आजीविका छिनना जीवन अधिकार पर असर माना जाएगा।
- › साथ ही अदालत भोजन जैसे अधिकारों की योजनाओं/व्यवस्था से भी जीवन को 'सुनिश्चित' करने की दिशा देखती है।

उत्तर – अदालत को देखना है कि बेदखली/हटाने से लोगों की आजीविका के साधन नष्ट हो रहे हैं या नहीं; क्योंकि 'जीवन' में आजीविका (और भोजन) भी शामिल है। यदि रोजगार-रास्ता टूटता है, तो जीवन अधिकार प्रभावित माना जाएगा।

उदाहरण 8. मान लो एक पीड़ित व्यक्ति ने अन्याय के खिलाफ अदालत में शिकायत दी। मुकदमा 4 साल में चलता है और हर महीने/दो महीने में तारीख लगती है। इस देरी से उसकी नौकरी छूट जाती है, इलाज में पैसा लग जाता है, और 1-2 अहम गवाह समय के साथ डरकर गवाही से हट जाते हैं। अब बताओ—यह मामला 'न्याय तक पहुँच में देरी' का उदाहरण कैसे बनेगा?

- › पहचानो कि फैसला आने में बहुत समय लगा (विलंब 4 साल)
- › बताओ कि देरी से पीड़ित को रोज़गार/पैसे का नुकसान होता है
- › बताओ कि बार-बार कोर्ट के चक्कर से पीड़ित की मानसिक और पारिवारिक हालत बिगड़ती है
- › समझो कि लंबे इंतज़ार में गवाहों की उपलब्धता/तैयारी और यादें प्रभावित हो सकती हैं
- › निष्कर्ष लिखो: फैसला हो जाने पर भी न्याय का 'असर' कम पड़ जाता है

उत्तर – यह 'न्याय तक पहुँच में देरी' का उदाहरण है क्योंकि मुकदमे में 4 साल का विलंब होने से पीड़ित को आर्थिक और मानसिक नुकसान हुआ, नौकरी छूटी, गवाहों की गवाही प्रभावित होने का खतरा बढ़ा—और इसलिए न्याय का असर समय पर नहीं पहुँच पाया।

बोर्ड परीक्षा के लिए खास

- 1-2 लाइन में लिखो: समान कानून + तय प्रक्रिया के लिए न्यायपालिका/अदालतें।
- बोर्ड में तीनों भूमिकाएँ अलग-अलग लिखो और साथ में 1-1 लाइन 'क्या किया' भी जोड़ो।
- उत्तर में 3 बिंदु लिखो: शक्तियों का बँटवारा, सरकार से स्वतंत्रता, हटाने की कठिन प्रक्रिया।
- बोर्ड में 'तीन स्तर + एकीकरण + अपील' का पॉइंट लिखना ज़रूरी रहता है।
- उत्तर लिखते समय 'सजा' बनाम 'राहत/मुआवज़ा' शब्द जरूर जोड़ो।
- PIL की पहचान "कौन दायर कर सकता है" और "प्रभावित लोग खुद जरूरी नहीं" से करें।

- ओल्गा टेलेस/आर्टिकल 21 लिखो: जीवन में आजीविका व भोजन शामिल—यह जरूर आने वाला पॉइंट है।
- उत्तर में 'क्यों' लिखो: देरी से आर्थिक/मानसिक नुकसान और न्याय का असर घटता है।

एक नज़र में रिवीज़न

- › कानून सब पर समान + उल्लंघन पर तय प्रक्रिया = अदालतें जरूरी
- › - विवाद निपटाओ, संविधान चेक करो, अधिकार लागू करवाओ
- › दबाव नहीं: बँटवारा, स्वतंत्र अदालत, हटाना मुश्किल
- › पिरामिड: जिलाउच्चसर्वोच्च; अपील: गलत लगे तो ऊपर
- › - आपराधिक: अपराध, सजा | दीवानी: विवाद, राहत/मुआवज़ा
- › PIL: प्रभावति की ओर से—किसी भी व्यक्ति/संस्था की याचिका
- › जीवन = आजीविका + भोजन (अनुच्छेद 21)
- › देरी = इंसाफ का असर कम, पीड़ित को नुकसान ज्यादा।